राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।

:: आ दे श ::

नारायण सिंह बनाम् भूमि अर्जन अधिकारी वगैरा।

एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या- 3099/1999,
अन्तर्गत अनुच्छेद 226 व 227 भारतीय संविधान.

आदेश दिनांक- **दिसम्बर 20, 2006**

उ प स्थि त

माननीय न्यायाधिपति श्री शिव कुमार शर्मा

श्री नितिन जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री एम.एल. गोयल, अति. राजकीय अधिवक्ता वास्ते राज्य।
श्री अशोक मिश्रा, अधिवक्ता वास्ते प्रतिपक्षी क्रम-4 से 6.

न्यायालय द्वारा-

(1) वादी/ प्रतिपक्षीगण 4 लगायत 6(जिन्हें आगे चलकर **'वादीगण'** सम्बोधित किया जावेगा), ने ए.सी.एम./उप खण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में एक वाद घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व इन्द्राज में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था जिसमें यह प्रार्थना की गई थी कि भूमि अर्जन अधिकारी को पाबन्द किया जावे कि वह भूमि अवाप्ति अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत खसरा नम्बर-603 रकबा 0.39 बीघा व खसरा नम्बर 760 रकबा 0.62 बीघा भूमि की मुआवजा राशि 1,30,997/-रूपये (अक्षरे एक लाख तीस हजार नौ सौ सितयानवे) का भुगतान प्रतिवादी/ प्रार्थी को नहीं करें। ए.सी.एम./ उप खण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह ने आदेश दिनांक- 5.9.1999 द्वारा वादी का उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा स्थगन का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। अभिलेख के अनुशीलन से ऐसा प्रकट होता है कि प्रतिवादी/ प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-7 नियम-11, सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के समक्ष प्रस्तुत किया था और वाद की पोषणीयता के सम्बन्ध में आपत्ति उठाते हुए वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की थी, जिसे ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी,

टोडारायसिंह ने आदेश दिनांक- 3.6.1999 द्वारा निरस्त कर दिया था। वादीगण ने आदेश दिनांक- 5.9.1999 के विरूद्व राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके राजस्व अपील प्राधिकारी ने 9.6.1999 को नोटिस जारी किए तथा इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा वादीगण के पक्ष में जारी की कि खसरा नम्बर- 760 रकबा 0.63 हैक्टर, वाके ग्राम थड़ोली तहसील-टोडारायसिंह के मुआवजे का भुगतान रेस्पोडेंट सं0 2 द्वारा रेस्पोडेंट सं.3 को नहीं किया जावेगा। प्रार्थी ने इस रिट याचिका में ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के आदेश दिनांक- 3.6.1999, जिसके द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11, सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया गया था तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक के आदेश दिनांक- 9.6.1999, जिसके द्वारा वादीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, को चुनौती दी है।

(2) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया।

(3) जहॉं तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद की पोषणीयता का सम्बन्ध है, वादीगण के अधिवक्ता श्री अशोक मिश्रा ने मेरा ध्यान- **डॉ. जी.एच. ग्रान्ट बनाम् बिहार राज्य** (AIR1966 S.C. Page237)न्यायिक दृष्टान्त में उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगण द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों की ओर आकर्षित किया जिनके अनुशीलन से प्रतीत होता है कि भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा-30 की शक्तियों को इनवोक किया जा सकता है, किन्तु पक्षकार अपने अधिकारों के लिए वाद भी संस्थित कर सकते हैं। मैं वाद की विचाराधीनता के दौरान इस बिन्दू को निर्णीत करने के लिए उप खण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह पर छोड़ देता हूं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पोषणीय है अथवा नहीं? किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-7 नियम-11, सिविल प्रक्रिया संहिता पर जो आदेश ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह द्वारा पारित किया गया है, उसके सम्बन्ध में इस प्रक्रम पर कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अत: यह रिट याचिका निम्नप्रकार निस्तारित की जाती है:-

(A) प्रार्थी वादीगण द्वारा ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में प्रस्तुत वाद में प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक विधिक आक्षेप उठा सकेगा।

(B) राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक- 9.6.1999 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि भूमि अर्जन मुआवजा राशि 1,30,997/-रूपये (अक्षरे एक लाख तीस हजार नौ सौ सितयानवे) का भुगतान, यदि प्रार्थी इस आशय का अभिवचन(Undertaking) एवं जमानत प्रस्तुत कर दें कि यदि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उसके विरूद्व निर्णीत हो जाता है तो वह मुआवजे की सम्पूर्ण राशि 9 % वार्षिक ब्याज सहित ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी,

टोडारायसिंह के न्यायालय में जमा करा देगा, तो प्रार्थी को कर दिया जावे। प्रार्थी द्वारा उक्त आशय का अभिवचन एवं जमानत ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में प्रस्तुत किए जावेगें। प्रार्थी द्वारा उक्त आशय का अभिवचन एवं जमानत प्रस्तुत कर दिए जाने से 15 दिन के भीतर-भीतर भूमि अवाप्ति अधिकारी (कलक्टर) बीसलपुर परियोजन, देवली जिला टोंकए प्रार्थी को उक्त राशि का भुगतान कर देगें।

(c) पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे ए.सी.एम./उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह के न्यायालय में दिनांक- 15.01.2007 को उपस्थित होगें।

(D) याचिका का व्यय पक्षकार स्वयं अपना-अपना वहन करेगें।

(न्या. शिव कुमार शर्मा)

एमसीएस